222

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रुप–3, नरेगा)

कमांक एफ 4(2)ग्रावि / ग्रुप–3 / नरेगा / एडीएस / 08–09 जयपुर, दिनांक 26 MAR 2009

जिला कलेक्टर
अजमेर।

विषयः रा0ग्रा.रो.गा. स्कीम में सीमेन्ट ब्लाक रोड़ निर्माण के कम में मार्गदर्शन देने बाबात्।
प्रसगः अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक अजमेर के पत्र कमांक / वार्षिक कार्य योजना / 30844 दिनांक 25.02.09 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के कम में अनुरोध है कि विभाग के आदेश दिनांक 12.02.09 के द्वारा सीसी रोड के स्थान पर ईट / पत्थर खरंजा कराने की अनुमति दी गई है। आपने उक्त प्रासंगिक पत्र के द्वारा यह अवगत कराया है कि नरेगा योजनान्तर्गत गॉव की गलियों को पक्का करवाने हेतु प्री कास्ट सीमेन्ट कंकरीट ब्लांक रोड के निर्माण के प्रस्ताव आ रहे है। जिन्हें योजनान्तर्गत लिया जा सकता है अथवा नहीं।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि योजनान्तर्गत पत्थर खरंजा निर्माण की तरह प्री कास्ट सीमेन्ट कंकरीट ब्लांक को उपयोग में लेते हुए रोड एवं गांवों की गलियों को पक्का कराया जा सकता है।

भवदीय

(राजेन्द्र भाणावत)
निदेशक, नरेगा

प्रतिलिपिः– समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यकम समन्वयक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निदेशक, नरेगा